भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3029
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन का उपयोग

3029. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष ड्रोन पर माल और सेवा कर (जीएसटी) को घटाकर पांच प्रतिशत किए जाने से कृषि और संभार-तंत्र क्षेत्रों में 'ड्रोन-ऐज़-ए-सर्विस' मॉडल को अपनाने पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2027 से शुरू होने वाले एक प्रतिशत सम्मिश्रण के लक्षित अधिदेश को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संधारणीय विमानन ईंधन (एसएएफ) नीति को अधिसूचित करने के लिए सही दिशा में अग्रसर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नमो ड्रोन दीदी पहल में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) फरवरी, 2026 तक ड्रोन पायलट के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या कितनी है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): भारत सरकार ने ड्रोन सहित कृषि मशीनरी पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब को 12-18% से घटाकर 5% करके कृषि मशीनीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह उपाय देशभर के किसानों को सीधे लाभान्वित करता है, विशेष रूप से उन किसानों को जो विभिन्न कृषि मशीनीकरण सहायता कार्यक्रमों के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

जीएसटी में कमी ने ड्रोन की खरीद लागत को कम कर दिया है, जिससे वे किसानों के लिए अधिक किफायती और सुलभ हो गए हैं। जब कृषि मशीनीकरण योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता, जो ड्रोन सहित, कृषि मशीनरी की खरीद के लिए 40-50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, के साथ जोड़ा जाता है तो, किसानों को कम कर और वित्तीय सहायता का दोहरा लाभ मिलता है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, सब्सिडी ड्रोन पैकेज लागत का 80% है, जो प्रति ड्रोन पैकेज अधिकतम 8 लाख रुपये तक है।

(ख): सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए पारंपरिक विमानन टर्बाइन ईंधन में संधारणीय विमानन ईंधन (एसएएफ) के लिए वर्ष 2027 तक 1%, वर्ष 2028 तक 2% और वर्ष 2030 तक 5% के सांकेतिक सम्मिश्रण लक्ष्यों को मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां सक्रिय रूप से उल्लिखित मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति कार्यरत हैं।

(ग) और (घ): सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना (एनडीडीवाई) को वित्त वर्ष (एफवाई) 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 1,261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीएस) को 15,000 कृषि ड्रोन प्रदान

करना है। वर्ष 2023 में, प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके एसएचजी को 1,094 ड्रोन वितरित किए गए। इन 1,094 ड्रोनों में से 500 ड्रोन एनडीडीवाई योजना के तहत वितरित किए गए थे। सभी एसएचजी सदस्यों को रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
